अनुदान संख्या 81 – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 81 - MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	23153,10,00		23153,13,00	18156,18,66	-4996,94,34
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4309,35,40
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित–	*Charged -*			*10,00,00*	*80,01*	*-9,19,99*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	118170,50,00		136419,40,00	134012,55,26	-2406,84,74
पूरक	Supplementary	18248,90,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2143,00,10

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में; बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	12680.00	12232.80	11723.86	-508.94
पु.	R.	-447.20			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा पुल	Roads and Bridges				
मू.	O.	630294.00	493851.00	429195.96	-64655.04
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-136445.00			
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	77436.00	20093.80	19200.60	-893.20
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-57343.20			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को अनुदान सहायता	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1578200.00	1358200.00	1355498.24	-2701.76
पु.	R.	-220000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	16700.00	..	..	..
पु.	R.	-16700.00			

(1) ₹86146.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा इनमें से ₹85689.00 लाख निम्ननलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹86146.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under thirteen heads; of these ₹85689.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "3054" – "सामान्य – अनुसंधान और विकास – राजमार्ग अनुसंधान – केंद्रीय सड़क निधि से वित्तपोषण" – ₹9089.00 लाख (दिसंबर 2018, में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) – वित्त मंत्रालय के निर्णय के अनुसार सकल बजटीय सहायता के लिए निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने तथा अनुसंधान एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण।

(A) Major head "3054" - "General - Research and Development - Highways Research - Funding from Central Road Fund" - ₹9089.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2018) - due to re-appropriation of funds for Gross Budgetary Support as per the decision of Ministry of Finance and receipt of less proposals from research agencies.

(खा) मुख्य शीर्ष "3055" –

(क) "अनुसंधान" –

(i) "केंद्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित सड़क सुरक्षा" – ₹18500.00 लाख;

(ii) "केंद्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित राष्ट्रीय डेटा बेस नेटवर्क" – ₹6400.00 लाख;

(B) Major Head "3055" -

(a) "Research" -

(i) "Road Safety financed from Central Road Fund" - ₹18500.00 lakhs;

(ii) "National Data Base Network financed from Central Road Fund" - ₹6400.00 lakhs;

(iii) "केंद्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित निरीक्षण और अनुरक्षण केंद्र" – ₹2000.00 लाख;

(iv) "केंद्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार तथा सुदृढ़ीकरण" – ₹3000.00 लाख; और

(ख) "आरक्षित निधि/जमा लेखे में/से अंतरण – केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹30000.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान वित्त मंत्रालय के निर्णयानुसार सकल बजटीय सहायता के लिए निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान" –

(क) "केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान" –

(i) "दिल्लीं में सड़कें" – ₹6958.00 लाख – परियोजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के कारण।

(ii) "पुदुचेरी में सड़कें" – ₹1392.00 लाख – प्रस्तावों के प्राप्त न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(ख) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतरण – केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹8350.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशेधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹956.14 लाख की बचत (₹12680.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(iii) "Inspection and Maintenance Centre financed from Central Road Fund" - ₹2000.00 lakhs;

(iv) "Improving and Strengthening of Public Transport System financed from Central Road Fund" - ₹3000.00 lakhs; and

(b) "Transfer to/from Reserve Fund/Deposit A/c - Block Grant for Transfer to Central Road Fund" - ₹30000.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to heads for Gross Budgetary Support as per the decision of Ministry of Finance.

(C) Major Head "3602" - "Other Transfer/ Grants to U.T. Governments with Legislature"-

(a) "Grants from Central Road Fund" -

(i) "Roads in Delhi" - ₹6958.00 lakhs - due to non-sanctioning of projects.

(ii) "Roads in Puducherry" - ₹1392.00 lakhs - due to non-receipt of proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Transfers to/from Reserve Fund/Deposit A/c - Block Grant for Transfer to Central Road Fund" - ₹8350.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Road Transport and Highways" - saving of ₹956.14 lakhs (against the sanctioned provision of

संविदागत कर्मचारियों, न्यायिक मामलों में मध्यस्थों की कम तैनाती किए जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

₹12680.00 lakhs) was due to engagement of less contractual employees, arbitrators of court cases and less tours undertaken.

(III) मुख्य शीर्ष "3054" के अंतर्गत –

(III) Under Major Head "3054" -

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य – सड़क स्कंध द्वारा अनुरक्षण" – ₹122024.03 लाख की बचत (₹291712.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम मरम्मत कार्य किए जाने तथा राज्य महालेखाकार से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "National Highways - Road Works - Maintenance by Roads Wing" - saving of ₹122024.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹291712.00 lakhs) was due to undertaking of less repair work and receipt of less claims from State Accountant Generals.

(खा) "जिला और अन्य सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान" – ₹1240.50 लाख की बचत (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3292.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "District and Other Roads - Road Works - Grants from Central Road Fund to Union Territory Governments without legislatures" - saving of ₹1240.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3292.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in February, 2019) was due to receipt of less proposals from Union Territory Administrations.

(गा) "सामान्य–आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतरण – केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹69272.00 लाख की बचत (₹314449.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(C) "General - Transfer to/from Reserve Fund/ Deposit A/c - Block Grant for Transfer to Central Road Fund" - saving of ₹69272.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹314449.00 lakhs) was due to reduction of provision at the revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "3055" – "अनुसंधान – सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कीम" – ₹14072.00 लाख की बचत (₹17436.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अधिकार संपन्न समिति द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3055" - "Research - Scheme for Safety of Women on Public Road Transport" - saving of ₹14072.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17436.00 lakhs) was due to non-appraisal of proposals by the Empowered Committee of Ministry of Women and Child Development.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान" –

(V) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States" -

(का) "केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान – राज्य सड़कों के लिए अनुदान" – ₹112701.76 लाख की बचत (₹789100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने

(A) "Grants from Central Road Fund - Grants for State Roads" - saving of ₹112701.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹789100.00

तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

lakhs) was due to receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतरण – केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹110000.00 लाख की बचत (₹789100.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधन की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Transfers to/from Reserve Fund/Deposit A/c - Block Grant for Transfer to Central Road Fund" - saving of ₹110000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹789100.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹12083.80 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹12083.80 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2018 and February, 2019 under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "3054" – "सामान्य – अनुसंधान और विकास – राजमार्ग अनुसंधान" – ₹2088.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹871.14 लाख था।

(A) Major Head "3054" - "General - Research and Development - Highway Research" - ₹2088.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹871.14 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3055" – "अनुसंधान – सड़क सुरक्षा" – ₹9995.80 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹9107.72 लाख था।

(B) Major Head "3055" - "Research - Road Safety" - ₹9995.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹9107.72 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3055" – "अनुसंधान" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the Major Head "3055" - "Research" - under the following heads: -

(का) "राष्ट्रीय डेटा बेस नेटवर्क" – ₹4702.14 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में); और

(A) "National Data Base Network" - excess of ₹4702.14 lakhs (against nil provision); and

(खा) "निरीक्षण और अनुरक्षण केंद्र" – ₹1997.10 लाख का अधिक व्यय।

(B) "Inspection and Maintenance Centre" - excess of ₹1997.10 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय वित्त मंत्रालय के सकल बजटीय सहायता से व्यय पूरा करने के निर्णय के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to the decision of Ministry of Finance to meet the expenditure from Gross Budgetary Support.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head: -

शीर्ष	Head	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"			
सड़क और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges	*1000.00*	*80.01*	*-919.99*

(I) "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य – सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य" – *₹919.99 लाख* की बचत (₹ *1000.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) सरकार/अधिकरण/मध्यस्थम द्वारा डिक्री/अधिनिर्णय के लिए कम आदेश प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Under "National Highways - Road Works - Works under Road Wing" - saving of *₹919.99 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹ 1000.00 lakhs*) was due to receipt of less order for decree/award passed by Government/Tribunal/Arbitration.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹240684.74 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1824890.00 लाख के पूरक अनुदान का 13 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹240684.74 lakhs) constituted 13 percent of the supplementary grant of ₹1824890.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	621000.00			
		1.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-621000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5054" सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	11193050.00			
पू.	S.	1824889.00	13426038.90	13400426.88	-25612.02
पु.	R.	408099.90			
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	3000.00			
			1600.00	828.38	-771.62
पु.	R.	-1400.00			

(I) ₹621001.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "4552" – "राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़कें तथा सेतु) – सड़क निर्माण कार्य" के अंतर्गत दो शीर्षों के तहत पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹621001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under two heads under Major Head "4552" - "National Highways (Roads & Bridges) - Road Works" -

(का) "सड़क संकाय के अंतर्गत सड़क विकास कार्य और राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित सीमा सड़क विकास बोर्ड" – ₹80000.50 लाख; और

(A) "Roads Development works under Roads Wing and Border Road Development Board financed from National Investment Fund" - ₹80000.50 lakhs; and

(खा) "पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹541000.50 लाख।

(B) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas financed from National Investment Fund" - ₹541000.50 lakhs.

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "5054" – "राष्ट्रीय राजमार्ग – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" – ₹2966313.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹912344.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3878657.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण ₹296789.35 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "5054" - "National Highways - Investments in Public Sector and Other Undertakings - National Highways Authority of India" - the original provision of ₹2966313.00 lakhs was augmented to ₹3878657.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹912344.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹296789.35 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः–

(III) Under Major Head "5054" - savings occurred under the following heads: -

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग" –

(A) "National Highways" -

(क) "स्थाई सेतु – राष्ट्रीय राजमार्ग स्थाई सेतु शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य" – ₹4590.62 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Permanent Bridges - Works financed from National Highways Permanent Bridges Fees Fund" - saving of ₹4590.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments and non-finalization of projects by State Public Works Department.

(ख) "सड़क निर्माण कार्य – केंद्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित अन्य राजमार्गों संबंधी स्कीमें" – ₹45251.92 लाख की बचत (₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹160970.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के लगभग पूरा होने के कारण कम निधियों की आवश्यकता, चालू कार्य की धीमी प्रगति के कारण राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(b) "Road Works - Other Highways related schemes financed from Central Road Fund" - saving of ₹45251.92 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹160970.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh) was due to requirement of less funds as the projects are nearing completion, receipt of less proposals from State Governments owing to poor progress of ongoing work and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – वामपंथी अतिवादी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क (राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य सड़कें) के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम" – ₹239182.35 लाख की बचत (₹270000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किए गए नए

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas" - saving of ₹239182.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹270000.00 lakhs) was due to re-

शीर्ष को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुई।

(घ) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतरण – केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹5736.00 लाख की बचत (₹2009300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतरण" –

(क) "केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण" – ₹132670.00 लाख की बचत (₹2280212.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण" – ₹23000.00 लाख की बचत (₹621000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "5055" के अंतर्गत –

(का) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतरण – केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹700.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुईं।

(खा) "कार्यशाला सुविधाएं – केंद्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित निरीक्षण तथा अनुरक्षण केंद्र" – ₹1471.62 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा विक्रेताओं द्वारा दावे प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1136970.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं

appropriation of funds to the new head specified for the purpose.

(d) "Transfers to/from Reserve Fund/Deposit A/c - Block Grant for Transfer to Central Road Fund" - saving of ₹5736.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2009300.00 lakhs);

(B) "General - Transfer to/from Reserve Fund/ Deposit A/c" -

(a) "Transfer to Central Road Fund" - saving of ₹132670.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2280212.00 lakhs);

(b) "Transfer to National Investment Fund" - saving of ₹23000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹621000.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "5055" -

(A) "Transfer to/from Reserve Fund/Deposit A/c - Block Grant for Transfer to Central Road Fund" - saving of ₹700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Workshop Facilities - Inspection and Maintenance Centre financed from Central Road Fund" - saving of ₹1471.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals for procurement of equipments and non-submission of claims by vendors.

5. The above savings were partly (₹1136970.00 lakhs) utilized for augmenting the

जैसा कि दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में मुख्य शीर्ष "5054" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹1824888.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(I) "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य" –

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य" – ₹483164.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय, ₹479380.15 लाख था।

(खा) "पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹598000.00 लाख। तथपि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹594446.57 लाख था।

(II) "सामान्य – आरक्षित निधि जमा खाता को/से अंतरण – राष्ट्रीय राजमार्ग कोष के मुद्रीकरण में अंतरण" – ₹55806.00 लाख।

6. केंद्रीय सड़क निधि :–

इस निधि का वित्तपोषण कर लगाए गए मोटर स्पिरिट (विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क से प्राप्त आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लीटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000–2001 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख–रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर ₹1/– प्रति लीटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनःसंशोधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केंद्रीय सड़क निधि को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्प के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती है।

provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹1824888.00 lakhs in December, 2018 and February, 2019 under Major Head "5054" under the following heads: -

(I) "National Highways - Road Works" -

(A) "National Highways Original Works" - ₹483164.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹479380.15 lakhs.

(B) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas financed from National Investment Fund" - ₹598000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹594446.57 lakhs.

(II) "General - Transfers to/from Reserve Fund/ Deposit A/c - Transfer to Monetization of National Highway Fund" - ₹55806.00 lakhs.

6. Central Road Fund :-

The fund is financed from part (3.5 paise per litre) of the proceeds of Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provisions of 2000-2001 an additional tax of ₹1/- per litre has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. This additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

वर्ष 2018–2019 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2018-2019 was as follows:-

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	10250,01,39
प्राप्तियां	Receipts	62879,63,92
अदायगियां	Payments	72018,73,47
अंतशेष	Closing Balance	1110,91,84

7. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि:–

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत ₹25.00 लाख से अधिक और ₹100.00 लाख तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्र चालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ₹100.00 लाख से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में "राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि" को अंतरित कर दिया जाता है। संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

7. National Highways Permanent Bridges Fees Fund :-

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than ₹25.00 lakhs and upto ₹100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and thereafter all the bridges costing more than ₹100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National Highways Permanent Bridges Fee Fund" in the Public Accounts of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilized for development of National Highways.

वर्ष 2018–2019 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2018-2019 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	264,17,14
प्राप्तियां	Receipts	9584,09,00
अदायगियां	Payments	9574,22,39
अंतशेष	Closing Balance	274,03,75